न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–16/2017/भीलवाड़ा (2017/00019)

1. लादू पुत्र मोहन कुमावत,
2. लाडू पुत्र मांगू कुमावत,
3. भैरू पुत्र मांगू कुमावत,
   समस्त निवासी थला, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मगनीराम पुत्र प्यारचंद रेगर,
2. अम्बालाल पुत्र छोगा कुमावत,
3. चांदू पुत्र चुन्नीलाल हरिजन,
   समस्त निवासी थला, तह0 रायपुर, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 11.2.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 19/2017 .

उपस्थितः–

1. श्री ईश्वर देवड़ा, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.7.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना अंतर्गत धारा 111 व 128 एल0आर0एक्ट के

तहत अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थला पटवार हल्का थला के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 431 में अंकित आराजी संख्या 2042/696 रकबा 0.87 हे0 आराजी स्थित है । उक्त आराजी के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को काश्त करने, काश्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने, चाह का उपयोग करने के दरम्यिान पक्षकारान के मध्य सीमा संबंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 11.2.2017 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, रायपुर को पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स ` बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलांट्स की नोटिस तलबी होना साबित होता हो । अधी0न्याया0 ने प्रकरण में अपीलांट्स को सम्मन तामिल कराये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज किया कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 2042/696 जिसके साबिक नंबर 374/1ट था तथा खसरा नंबर 374 बहुत बड़ा रकबा होकर अविभाजित क्षैत्र था, जिसके नक्शे में किसी प्रकार का कोई विभाजन दर्शाया हुआ नहीं था । भू–प्रबंध के दौरान साबिक खसरा नंबर 374 के रकबे में दर्ज समस्त खातेदारान के रकबे का नक्शे में इंद्राज करते हुए पृथक–पृथक जगह फिट कर दिया गया था जिसमें प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 702 को भी निर्धारित कब्जे के स्थान से अन्यंत्र फिट कर दिया गया था जिसका लाभ उठाते हुए प्रार्थी/रेस्पो0 1 संख्या द्वारा अपीलांट्स को बेदखल करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । अधी0न्याया0 ने प्रश्नगत भूमि बाबत् संपूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि धारा 111 भू–राजस्व अधि0 में प्रावधित प्रावधानों के तहत अधी0न्याया0 का यह विधिक दायित्व था कि सीमा पर विवाद की

स्थिति में जहां तक संभव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर तथा जहां यह संभव न हो या ऐसे नक्शे उपलब्ध नहीं हो वहां वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमा विवाद का विनिश्चयन किया जायेगा परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना सर्वेक्षण नक्शों को ध्यान में रखे एवं वास्तविक कब्जे की जांच किये बिना अपने निर्णय में पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 1 जिस भूमि बाबत् सीमाज्ञान करवाना चाहता है उक्त भूमि पर अपीलांट्स का निरन्तर कब्जा काश्त है । पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान के प्रकरणों में मौके की जांच एवं पड़ौसी काश्तकारों को सुनवाई का समुचित प्रदान कर ही ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे। xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया । अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स को प्रकरण के नोटिस तामील कराये बिना अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 एल0आर0एक्ट0 दिनांक 2.2.2017 को प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण/विपक्षीगण अपीलांट्स को सम्मन मय नकल जारी करने के आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 11.2.2017 को नियत की । इसके बाद आगामी नियत दिनांक 11.2.2017 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में रखकर पत्रावली को निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट्स को अधी0न्याया0 द्वारा सम्मन/नोटिस कब जारी किये गये तथा कब अपीलांट्स को उक्त सम्मन तामील हुए । पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में रखे जाने के संबंध में भी पक्षकारान को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को तामील कराये जाने के प्रयास किये बिना तुरत-फुरत में अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर प्रकरण को निर्णित किया है । हम विद्वान वकील अपीलांट्स के इस कथन से भी सहमत है कि जहां सीमा को लेकर विवाद हो वहां प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के पड़ौसी काश्तकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके प्रकरण को निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर एकतरफा में निर्णिय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो प्रथमदृष्टया पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होती है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

5- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 11.2.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 16/2017 (2017/00019) बउनवानी लादू बनाम मगनीराम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2017 बउनवान मगनीराम बनाम अम्बालाल में पारित निर्णय दिनांक 11.2.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अपीलांटस एवं अन्य पड़ौसी काश्तकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर